



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमण्डल में संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के सत्र 2018-19 में कक्षा-6 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापित संख्या - 35/2018

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 778 दिनांक 18.05.2017 तथा ज्ञापांक 133 दिनांक 16.06.2017 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर बालिकाओं के लिए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के राँची में आवासीय बालिका विद्यालय एवं बालकों के लिए संथाल परगना प्रमण्डल में दुमका तथा कोल्हान प्रमण्डल के चाईबासा में आवासीय बालक विद्यालय एवं पत्रांक 328 दिनांक 08.11.2016 एवं परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2017 के आलोक में इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के वर्ग 6 में शिक्षा सत्र 2018-19 में नामांकन हेतु एक स्तरीय लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

एतद् द्वारा संबंधित छात्र/छात्राएँ, जो निम्नांकित योग्यता एवं अर्हता रखते हैं, उनसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

- (क) झारखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- (ख) 01 अगस्त, 2018 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (ग) किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय में पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा छ: में अध्ययनरत हों।
- (घ) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि/जाति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परन्तु नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2) परीक्षा आवेदन प्रपत्र निम्न कार्यक्रम के अनुसार भरा जाएगा।

क्र.	कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
01.	ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि	दिनांक 26.05.2018 से 10.06.2018 तक
02.	ऑनलाइन भरे गये आवेदन का प्रिन्ट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभिप्राणित करने के पश्चात् शुल्क सहित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि	दिनांक 26.05.2018 से 15.06.2018 तक
03.	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शुल्क सहित आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि	दिनांक 26.05.2018 से 20.06.2018 तक
04.	भरे हुए आवेदन प्रपत्रों की जाँच कर कोटिवार समेकित सूची बनाकर शुल्क सहित परिषद् में उपलब्ध कराने की तिथि	28.06.2018 तक
05.	ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 10.07.2018 से 21.07.2018 तक

3) परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

- (क) परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in या www.jac.nic.in पर उपलब्ध होगा।
- (ख) अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन में वर्णित दिशा-निर्देश को भली-भाँति पढ़ लें तथा उसी के अनुसार परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरें।
- (ग) अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में दिए गए सभी सूचनाओं का संधारण सही-सही करेंगे।
- (घ) परीक्षा आवेदन प्रपत्र में बैंक ड्राफ्ट संख्या देना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व यथा वांछित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "JAC FUND" के नाम से होगा तथा "RANCHI" में भुगतान होगा, बना लें।
- (ङ) परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संबंधित विद्यालय का चयन किया जाना आवश्यक होगा।
- (च) परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के पश्चात् इसे Submit करेंगे एवं उक्त आवेदन प्रपत्र का प्रिन्ट निकालकर विद्यालय प्रधान से अभिप्राणित कराएंगे।
- (छ) अभिप्राणित आवेदन प्रपत्र प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट, आधार कार्ड, आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4) **सामान्य निर्देश:** (i) लिखित परीक्षा OMR शीट के माध्यम से लिए जायेंगे। (ii) परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होंगे। (iii) संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिये 100 सीट निर्धारित हैं। इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत मेधा क्रम में छात्र/छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय, दो पालियों में (2:30 घंटे की प्रत्येक पाली) तथा निम्नांकित विषयों में होगी। 15 मिनट का समय प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए तथा 15 मिनट का समय OMR भरने के लिए दी जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् है:-

परीक्षा कार्यक्रम

क्रम सं.	परीक्षा के विषय	अंक	विषय के अन्तर्गत समाहित विषय	अंक विभाजन	समूह	परीक्षा की तिथि, समय एवं पाली
01.	गणित	50				
02.	सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	50	सामाजिक अध्ययन (इतिहास, नागरिक, भूगोल)	20	A	21-07-2018 प्रथम पाली (10:00 से 12:30 बजे तक)
			सामान्य ज्ञान	10		
			सामान्य विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान)	20		
03.	भाषा	50	हिन्दी	50	B	21-07-2018 द्वितीय पाली (1:30 से 4:00 बजे तक)
04.	मानसिक योग्यता	50		50		

नोट: मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न आकृतियों एवं चित्रों पर आधारित होंगे। सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान तथा भाषा एवं गणित परीक्षा का पाठ्य क्रम वर्ग 05 में पढ़ाये जानेवाले पाठ्य क्रम पर आधारित होगा और उनके कठिनाई का स्तर कक्षा छ: की होगी।

- (iv) लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक जिला मुख्यालय में दिनांक 21 जुलाई, 2018 को उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार दो पालियों में आयोजित की जायेगी।
- (v) परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ 200/- (दो सौ रुपये) मात्र शुल्क बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा "JAC FUND" के नाम से निर्गत एवं राँची में भुगतान हो, के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए यह शुल्क 100/- (एक सौ रुपये) मात्र होगा।
- (vi) ऑनलाइन भरे गये परीक्षा आवेदन प्रपत्र के प्रिन्ट प्रति परीक्षार्थी के अध्ययनरत मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अग्रसारित होना आवश्यक है।
- (vii) परीक्षा आवेदन प्रपत्र के प्रिन्ट प्रति संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरान्त स्वीकार नहीं किए जायेंगे। प्रिन्ट प्रति में उपलब्ध प्राप्त रसीद अभ्यर्थी को निर्गत किया जायेगा।
- (viii) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त प्रति (आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति सहित) को कोटिवार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक सशुल्क जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
- (ix) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी प्रपत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की कोटिवार समेकित सूची प्रपत्र (परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये) में उपर्युक्त कंडिका 1 (घ) के आलोक में तैयार कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
- (x) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए प्रपत्रों एवं आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर ही परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए समेकित सूची में उक्त को चिन्हित कर अग्रसारित किया जाएगा जिससे कि उक्त परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जा सके।
- (xi) उम्र निर्धारण के संबंध में चिकित्सक दल (Medical Board) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट:- विज्ञापित प्रकाशित करने में पूरी सावधानी बरती गई है। कोई भी त्रुटि या अस्पष्टता की स्थिति में इस विज्ञापित में संशोधन/संशोधन किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/इंदिरा-नेतरहाट/5198/17/SECY/327/18, Dt. 25.05.2018
D.O.P: 26.05.2018

